भजन लाल शर्मा

माननीय मुख्यमंत्री,
राजस्थान सरकार

अविप्रा

झाबर सिंह खर्रा

माननीय मंत्री नगरीय विकास स्वायत्त शासन
व आवासन विभाग,राजस्थान सरकार

अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

अटल आवासीय योजना

RERA Reg. no. RAJ/P/2025/3471

आवेदन पुस्तिका

कुल भूखण्ड – 270 (सामान्य आवासीय– 136, कॉर्नर आवासीय– 46
E.W.S./L.I.G.- 61 सामान्य व्यावसायिक– 7, इनफॉर्मल शॉप्स– 20)

आवेदन करने की आरम्भ तिथि – 02.07.2025

आवेदन करने की अंतिम तिथि – 31.07.2025

आवेदन शुल्क
1000/– रूपये मात्र

अटल आवासीय योजना आम जनता को आवेदन करने हेतु प्रस्तुत है। योजना में लॉटरी द्वारा आवंटन हेतु भूखण्डों की कुल संख्या 191 निर्धारित है, जिनकी संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकती है। भूखण्डों का आवंटन लॉटरी पद्धति से किया जावेगा, जिसमें राज्य सरकार के नियमानुसार विभिन्न वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अटल आवासीय योजना (ग्राम चाचियावास, अजमेर) की शर्तें, भूखण्डों की दर, भूखण्डों की साईज आदि बिन्दुओं का उल्लेख कर दिया गया है।

अतः उक्त योजना में आवेदन कर लाभ उठावें।

शुभकामनाओं सहित

लोक बंधु	नित्या के.	अनिल कुमार पूनियाँ
IAS	IAS	RAS
अध्यक्ष	आयुक्त	सचिव
अजमेर विकास प्राधिकरण	अजमेर विकास प्राधिकरण	अजमेर विकास प्राधिकरण

अनुमोदित ले–आउट प्लान, अटल आवासीय योजना
चाचियावास, अजमेर

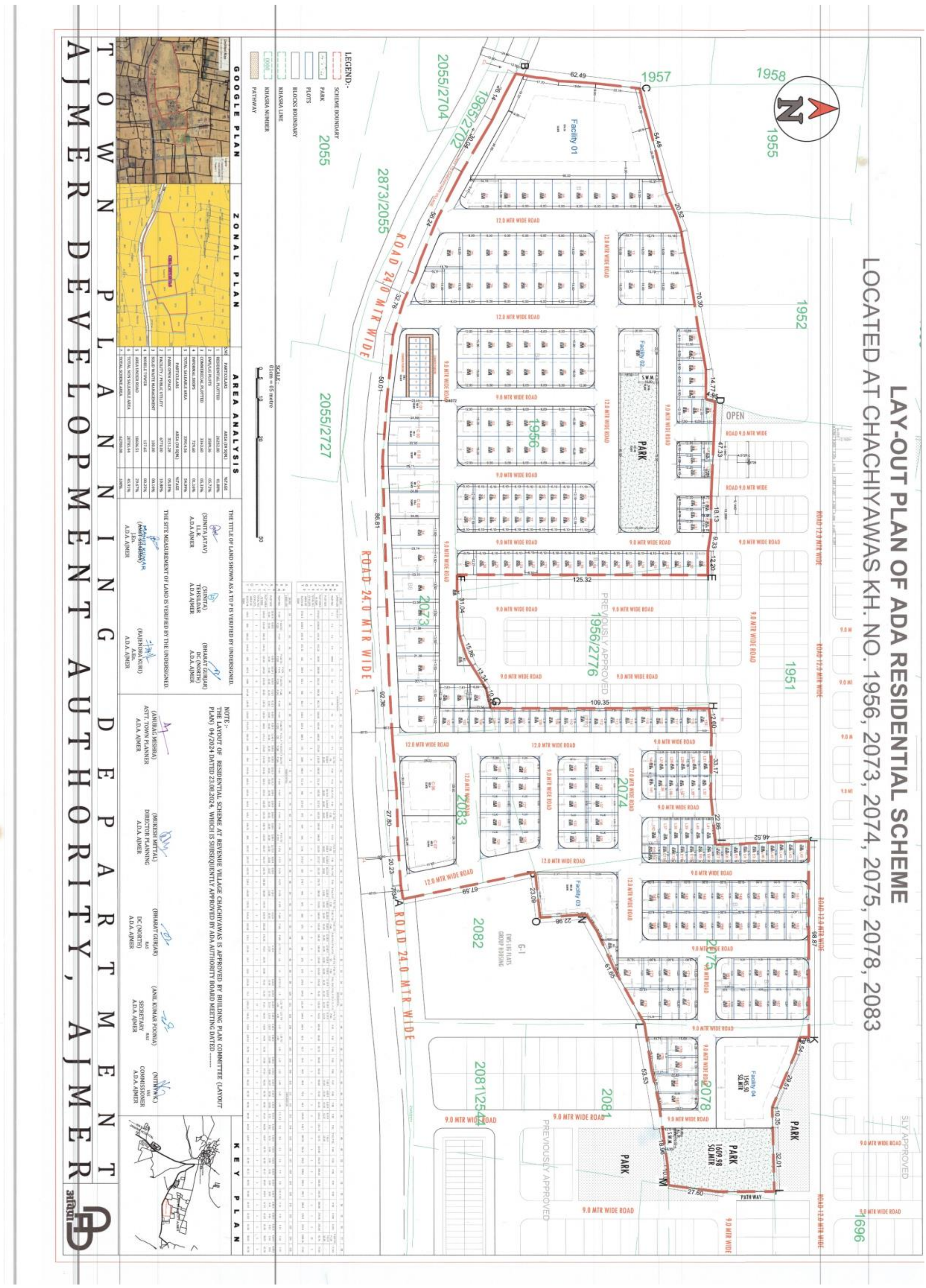

अटल आवासीय योजना

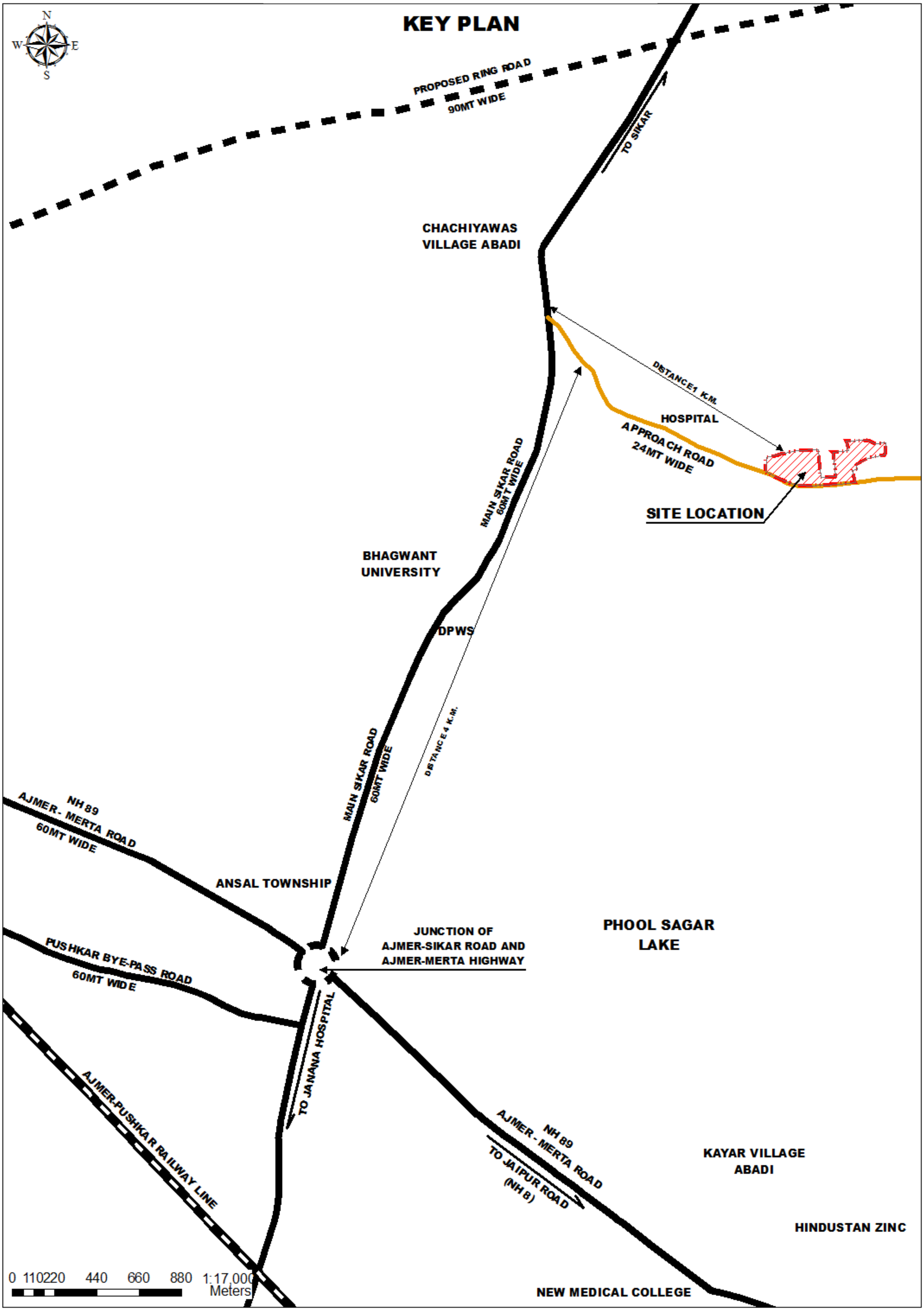
KEY PLAN
N
W
E
S
PROPOSED RING ROAD
90MT WIDE
TO SIKAR
CHACHIYAWAS
VILLAGE ABADI
DISTANCE 1 KM.
HOSPITAL
APPROACH ROAD
24MT WIDE
SITE LOCATION
MAIN SIKAR ROAD
60MT WIDE
BHAGWANT
UNIVERSITY
DPWS
MAIN SIKAR ROAD
60MT WIDE
DISTANCE 4 K.M.
NH 89
AJMER - MERTA ROAD
60MT WIDE
ANSAL TOWNSHIP
PUSHKAR BYE-PASS ROAD
60MT WIDE
JUNCTION OF
AJMER-SIKAR ROAD AND
AJMER-MERTA HIGHWAY
PHOOL SAGAR
LAKE
TO JANANA HOSPITAL
AJMER-PUSHKAR RAILWAY LINE
AJMER - MERTA ROAD
NH 89
TO JAIPUR ROAD
(NH 8)
KAYAR VILLAGE
ABADI
HINDUSTAN ZINC
0 110220 440 660 880 1:17,000
Meters
NEW MEDICAL COLLEGE

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विवरण	पेज नं.
1	योजना विवरण	1 से 11
2	प्रपत्र (परिशिष्ट)	12 से 20

आवेदन करने की प्रारम्भ तिथि – 02.07.2025
आवेदन की अंतिम तिथि – 31.07.2025
लॉटरी की संभावित तिथि – 21.08.2025

अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

आवेदन पत्र के साथ	आवंटन/लॉटरी के पश्चात्
1. योजना में आवेदन करने हेतु प्रक्रिया शुल्क रू. 1000/– (Non-Refundable) निर्धारित पंजीकरण राशि के साथ ऑनलाईन जमा कराना होगा। 2. आवेदन करते समय शपथ–पत्र निर्धारित प्रपत्र में, आय प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रपत्र में, मूल निवास प्रमाण–पत्र, अनुसूचित जाति/जनजाति का प्रमाण पत्र, राज्य कर्मचारी हेतु प्रमाण पत्र, सैनिक/सैनिक की विधवाओं/दिव्यांग सैनिक के लिये प्रमाण पत्र, निःशक्तता का प्रमाण पत्र, अधिस्वीकृत पत्रकारों के लिये प्रमाण पत्र, निरस्त चैक की प्रति, निराश्रित एवं भूमिहीन एकल महिला का प्रमाण पत्र (श्रेणी अनुसार) अपलोड करावें।	1. पैन कार्ड की स्व. अनुप्रमाणित प्रति 2. आधार कार्ड की स्वअनुप्रमाणित प्रति 3. निवास प्रमाण पत्र 4. यदि आरक्षित वर्ग में आवेदन किया हैं तो संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करें। 5. देय राशि का भुगतान ऑनलाईन ही किया जावेगा।

ध्यान देने योग्य बातें

1. अनुमोदित आवासीय योजना में ही भूखण्ड खरीदें।
2. नियमानुसार नियमन शुल्क जमा करवाकर पट्टा प्राप्त करें।
3. नियमानुसार निर्माण स्वीकृति प्राप्त कर निर्माण करावें।
4. नियमानुसार अनुमति प्राप्त कर भूखण्डों का हस्तांतरण करें।
5. अवैध अनियमित योजनाओं मे भूखण्ड नहीं खरीदें।
6. कोई भी भूखण्ड खरीदने से पूर्व बेचानकर्ता/विकासकर्ता/डीलर से अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित ले–आउट प्लान मांगें।
7. भूखण्ड खरीदने से पूर्व ले–आउट प्लान अवश्य देखें, निर्धारित शुल्क का भुगतान कर अजमेर विकास प्राधिकरण से अनुमोदित ले–आउट प्लान की प्रमाणित प्रति भी प्राप्त की जा सकती हैं।
8. अनुमोदित योजनाओं के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी हेतु अजमेर विकास प्राधिकरण की भूमि रूपान्तरण शाखा, योजना एवं आयोजना शाखा से सम्पर्क करें एवं प्राधिकरण की वेबसाइट से भी प्राप्त कर सकते हैं।

अपने राजस्थान की संस्कृति एवं पर्यावरण से प्रेम करें एवं उसकी रक्षा करें

अविप्रा

अजमेर विकास प्राधिकरण,अजमेर

टोडरमल मार्ग,सिविल लाईन्स, अजमेर–305001

e-mail: - ajmerada@gmail.com

Website: - https://ada.rajasthan.gov.in Phone No. 0145-2627748 / 2627749

1. प्रस्तावना

शौर्य, पराक्रम और बहुरंगी संस्कृति का धनी, राजस्थान का गौरव अजमेर जहां आध्यात्म नगरी के रूप मे लब्ध प्रतिष्ठित हैं वहीं प्राचीनकाल से ही अपने अनुकरणीय नगर नियोजन के लिये भी ख्यात हैं। भुवन भास्कर जहां अपनी रश्मियों से सर्वप्रथम इस निराली नगरी को आलोकित करते हैं, वहीं इस पावन भूमि के साथ इसका ऐतिहासिक गौरव भी इसके उजाले को बहुगुणित करता हैं। 21वीं शताब्दी मे चहुँमुखी प्रगति के सोपान चढ़ कर अजमेर ने विकास के कई आयाम स्थापित कियें हैं। वर्तमान में शहर के आशातीत विस्तार के साथ ही बढ़ रही आवासीय सुविधाओं की जरूरत को साकार करने की दिशा में अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा अटल आवासीय योजना बनाई गयी हैं जो नगर नियोजन की अति आधुनिक विशेषताओं से परिपूर्ण होगी। राजस्थान सरकार के नियोजित एवं परिपूर्ण विकास तथा सबके लिये आवास की नीति के निर्देशों के क्रम में योजना में पर्यावरण संरक्षण, जन सुविधाओं एवं निम्न तथा कमजोर आय वर्ग के व्यक्तियों को सस्ता भूखण्ड उपलब्ध कराने की दृष्टि से सभी आवश्यक प्रावधान किये गये हैं।

अटल आवासीय योजना, अजमेर के राजस्व ग्राम चाचियावास के खसरा संख्या 1956, 2073, 2074, 2075, 2078 एवं 2083 मे स्थित हैं। अजमेर–सीकर मुख्य सडक से महज 1 किमी तथा पुष्कर–जयपुर मुख्य सडक से मात्र 5 किमी की दूरी पर विभिन्न प्रतिष्ठित सरकारी/गैर सरकारी संस्थाओं के नजदीक स्थित हैं। अटल आवासीय योजना मे लोगो को नियोजित ढंग से बसाने के लिये आधुनिकतम सुविधाओं के विकास, रचनात्मक कार्यो हेतु स्थान एवं व्यवस्था उपलब्ध कराने की ओर विशेष ध्यान रखा गया हैं। उक्त योजना मे आवासीय जल निकासी एवं सीवरेज, विधुत वितरण एवं पेयजल हेतु सुचारू व्यवस्था का प्रावधान किया गया हैं। पेयजल के रूप मे बीसलपुर से स्वच्छ उपचारित पानी उपलब्ध होगा। उक्त योजना में आवासीय सुविधाओं के साथ–साथ प्रकृति और पर्यावरण के प्रति मानवीय नैतिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हुए नियमानुसार क्षेत्र मे पर्यावरण संरक्षण पार्क एवं सुविधा क्षेत्र तथा खुले क्षेत्र प्रस्तावित किये गये हैं। योजना मे सडक के साथ–साथ वृक्षारोपण करते हुए हरियाली का पर्याप्त ध्यान रखा गया हैं। विश्वास हैं कि अजमेर की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सामरिक और रचनात्मक रूप से अब तक जो पहचान रही हैं उसमें सर्वथा नया अध्याय जोडने मे यह योजना कारगर ही नहीं अपितु कामयाब भी साबित होगी।

2. व्यापक सुविधा क्षेत्र/सामुदायिक सेवाएँ

अटल आवासीय योजना मे व्यापक सामुदायिक सुविधाओं हेतु 28785.44 (Park, Facility/Public Utility) वर्गमीटर भूमि क्षेत्र योजना मे आरक्षित किया गया हैं, जिसमें जन सुविधायें विकसित की जानी प्रस्तावित हैं।

3. अटल आवासीय योजना मानचित्र मे भू–उपयोग क्षेत्रफल का विश्लेषण निम्नानुसार हैं :–

क्र.सं.	विवरण	प्रतिशत
1.	आवासीय	41.88
2.	E.W.S. / L.I.G.	5.72
3.	व्यावसायिक	5.33
4.	Informal Shops	1.16
5.	सडकें	29.67
6.	पार्क/खुला क्षेत्र	5.03
7.	सुविधायें (P.U. etc.)	11.21
	कुल क्षेत्र	**100.00**

1. योजना में आवंटन हेतु प्रस्तावित भूखण्ड

भूखण्ड टाईप	श्रेणी	भूखण्डों का सामान्य आकार (मीटर)	भूखण्डों का औसत क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	भूखण्डों की संख्या
E	45 वर्गमीटर तक	# 4.5 X 9.10	40.95 *	14
D	45 अधिक से 75 वर्गमीटर तक	# 6.10 X 12.20	61.86 *	59
C	75 अधिक से से 120 वर्गमीटर तक	# 9.10 X 12.19	110.94 *	25
B	120 अधिक से से 220 वर्गमीटर तक	# 12 X 15	161.46 *	84
A	220 वर्गमीटर से अधिक	# 13.5 X 21.10	300.60 *	09
		योग		**191**

 # -Plot size may be varied as per layout & site location.

*** - Plot area may be varied as per layout & site.**

2. आय वर्गवार निर्धारित भूखण्डों का विवरण एवं भूखण्डों की देय कीमत निम्नानुसार है।

क्र.सं.	आवेदक का वर्ग	प्लाट की साईज व. मी. से अधिक न हो	भूखण्ड टाईप	वसूली योग्य दर
1.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) जिनकी आय 3,00,000/– रू प्रतिवर्ष से अधिक न हो	45 व.मी. तक	E	आरक्षित मूल्य का 50 प्रतिशत (8114/–रू प्र.व.मी.)
2.	अल्प आय वर्ग जिनकी आय 3,00,001/– रू से 6,00,000/– रू प्रतिवर्ष तक हो (LIG)	45 से अधिक 75 व.मी. तक	D	आरक्षित मूल्य का 80 प्रतिशत (12982/– रू प्र.व.मी.)
3.	मध्यम आय वर्ग (MIG A) जिनकी आय 6,00,001/– रू से 12,00,000/– रू प्रतिवर्ष हो	75 से अधिक 120 व.मी. तक	C	आरक्षित मूल्य पर (16227/– रू प्र.व.मी)
4.	मध्यम आय वर्ग (MIG B) जिनकी आय 12,00,001/– रू से 18,00,000/– रू तक प्रतिवर्ष हो	120 से अधिक 220 व. मी. तक	B	आरक्षित मूल्य का 105 प्रतिशत (17038/– रू प्र.व.मी.)
5.	उच्च आय वर्ग (HIG) जिनकी आय 18,00,000/–रू से प्रतिवर्ष अधिक हो	220 व.मी. से अधिक	A	आरक्षित मूल्य का 110 प्रतिशत (17850/– रू प्र.व.मी.)

3. योजना की आरक्षित दर

राजस्थान नगरीय विकास निकाय(भूमि निष्पादन) नियम 1974 के नियम 6 के तहत योजना में भूखण्डों की आरक्षित दर प्राधिकरण द्वारा निम्नानुसार निर्धारित की गई है।

आवासीय : 16,227/– रूपये प्रति वर्गमीटर निर्धारित की गई है।

4. लॉटरी के माध्यम से पारदर्शी आवंटन व्यवस्था

योजना में सामान्य भूखण्डों का आवंटन ऑनलाईन लॉटरी के माध्यम से होगा। लॉटरी राज्य सरकार के संस्थान एन.आई.सी. द्वारा सार्वजनिक रूप से निकाली जायेगी व परिणाम अजमेर विकास प्राधिकरण की वेबसाईट पर अपलोड किये जायेगें।

5. पात्रता

1. आवेदक का राजस्थान का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
2. आवेदक को वयस्क होना चाहिए अर्थात आवेदन करने की तिथि को आवेदक की आयु 18 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए।
3. आवेदक का भारत में स्थित किसी भी बैंक में खाता होना चाहिए और आवेदक आवेदन में उसका विवरण अवश्य भरें। यह माना जाता है कि बैंक ने ऐसे खातों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के के.वाई.सी. मानकों का पालन किया है।

9. सकल आय की पात्रता का आधार

भूखण्डों की कीमत आवेदक की प्रमाणित सकल आय (Gross Inccome) पर निर्भर है। आवेदकों के आय वर्ग निर्धारण हेतु आय की संगणना दिनांक 31/03/2025 को कुल वार्षिक आय के आधार पर की जावेगी। कुल आय में निम्नांकित स्त्रोतों से हुई आय सम्मिलित होगी।

(क) स्वयं के लिये

1. वेतन, विशेष वेतन, महंगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता आदि से सकल आय।
2. गृह/सम्पत्ति/व्यापार/व्यवसाय/पेशे, कृषि आदि से सकल आय।
3. विनियोग से ब्याज द्वारा अर्जित आय।
4. कोई अन्य आय जो आयकर के प्रयोजनों हेतु आय के रूप में सम्मिलित करने योग्य हो।

(ख) उपर्युक्त (क) 1 से 4 तक के संबंध में पति/पत्नि की आय (सकल आय में पति, पत्नि व आश्रित की आय सम्मिलित होगी)

(ग) उपर्युक्त (क) 1 से 4 तक के संबंध में आश्रितो की आय (सकल आय में पति, पत्नि व आश्रित की आय सम्मिलित होगी)

(घ) आवेदक के स्वयं/परिवार की सकल वार्षिक आय (पति/पत्नि एवं आश्रितों की कुल आय) वित्तीय वर्ष 2024–25 के आधार पर मान्य होगी। आय वर्ग निर्धारण के लिए आय की संगणना आवेदक/परिवार की सभी स्त्रोतों से हुई कुल वार्षिक आय के आधार पर की जाएगी।

(ड) ऐसे आवेदक जो आयकर विवरणिका भरते है, उन्हें आई.टी.आर./फार्म–16 की प्रति तथा पैन कार्ड का विवरण भी आय प्रमाण पत्र में अंकित करना होगा।

निर्धारित प्रपत्र में ही आय उद्घोषणा पत्र अपलोड किया जावे। वेतन स्लिप एवं अन्य प्रपत्र मान्य नहीं होंगे एवं आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा।

नोट :–

1. आवंटन के लिए उपलब्ध भूखण्डों की संख्या मे कमी अथवा वृद्धि की जा सकती हैं।
2. एक आवेदक किसी एक ही वर्ग (आय के अनुसार) के भूखण्ड पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकता हैं। एक से अधिक आय वर्ग मे आवेदन करने पर दोनों ही आवंटन पत्र निरस्त कर दिए जायेंगे तथा पंजीयन राशि जब्त कर ली जावेगी।
3. आवेदन में आय वर्ग के कॉलम को भरते समय ध्यान रखें कि आपकी वार्षिक आय से भिन्न वर्ग मे आवेदन करने पर/टिक करने पर आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा और गलत सूचना/मिथ्या वर्णन मानते हुये पंजीकरण राशि जब्त कर ली जावेगी। अतः आय के अनुसार निर्धारित वर्ग के भूखण्ड के लिए ही आवेदन करें।

योजना में समाहित कॉर्नर के भूखण्ड लॉटरी मे सम्मिलित नही किये जायेंगें।

10. भूखण्डों का आरक्षण

राजस्थान नगरीय निकाय (भूमि निष्पादन) नियम 1974 के अनुसार विभिन्न श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए भूखण्ड आरक्षण के प्रतिशत की तालिका नीचे दी गयी है। आवेदक जिस श्रेणी के अन्तर्गत भूखण्ड हेतु आवेदन करेंगे उन्हे उसी श्रेणी के लिए लॉटरी में सम्मिलित किया जायेगा। किसी अन्य श्रेणी में उनका कोई दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा। आवेदक की पात्रता एक साथ दो आरक्षण वर्गों में होने पर भी आवेदक द्वारा जिस वर्ग में आरक्षण चाहा गया है उसी वर्ग हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जावे। एक साथ दो वर्गों में आवेदन करने पर आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा। राजस्थान के मूल निवासी व्यक्तियों के लिये आवासीय भूखण्डों का आरक्षण श्रेणीवार राजस्थान सुधार न्यास (भूमि निस्तारण नियम) 1974 के नियम 10 एवं 17(2) में वर्णित प्रावधानों अनुसार निम्न प्रकार से रहेगा –

स्पष्टीकरण

क्र. स.	श्रेणी	आय श्रेणी	योजना में आरक्षण प्रतिशत
1.	सरकारी कर्मचारी आदि– (क) राजस्थान सरकार के कर्मचारी, स्थानीय निकाय और राज्य साविधिक संस्थाओं के कर्मचारी	आवंटन के समय जिनकी वार्षिक आय रूपये 20.00 लाख प्रतिवर्ष से अधिक ना हो।	**10 प्रतिशत**
	(ख) मृतक सरकारी कर्मचारी के विधवा जिनके पति की मृत्यु को 10 वर्ष से अधिक समय नहीं हुआ हो।	मृत्यु के समय जिनके पति की वार्षिक आय रूपये 6 लाख से अधिक न हो।	
	(ग) केन्द्र सरकार के कर्मचारी	आवंटन के समय जिनकी वार्षिक आय रूपये 20.00 लाख से अधिक ना हो।	
2.	रक्षा कर्मचारी और भूतपूर्व सैनिक और उनके परिवार तथा सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कर्मचारी जिनके आवंटन का क्रम निम्नानुसार होगा–	आवंटन के समय जिनकी वार्षिक आय रूपये 20.00 लाख से अधिक ना हो	**10 प्रतिशत**
	(क) मृतक सैन्य कर्मचारी की विधवा और आश्रित जो सीमा की रक्षा करते हुए शहीद हुए और सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के शहीद कर्मचारी की विधवा और आश्रित जो अपने कर्तव्य के निर्वहन के दौरान शहीद हुए है		
	(ख) सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के दिव्यांग कर्मचारी		
	(ग) अन्य भारतीय सेना, सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, रिजर्व पुलिस बल के कर्मचारी।		

3.	अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्ति	आवंटन के समय जिनकी वार्षिक आय रूपये 20.00 लाख से अधिक ना हो	**15 प्रतिशत**
4.	मान्यता प्राप्त पत्रकार	आवंटन के समय जिनकी वार्षिक आय रूपये 20.00 लाख से अधिक ना हो	**02 प्रतिशत**
5.	विकलांगता अधिकार अधिनियम 2016 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 49, 2016) के तहत घोषित विशेष योग्य जन व्यक्ति जिसमें विशेष योग्य जन महिला को वरीयता दी जावेगी।	आवंटन के समय जिनकी वार्षिक आय रूपये 20.00 लाख से अधिक ना हो	कुल भूखण्ड का 05 प्रतिशत यह आरक्षण क्षैतिज होगा और इसके तहत आवंटित भूखण्ड की गणना अन्य श्रेणी में आंवटित आरक्षित और अनारक्षित भूखण्डों के विरूद्व की जावेगी।
6.	निराश्रित और भूमिहीन एकल महिला	आवंटन के समय जिनकी वार्षिक आय रूपये 0.80 लाख से अधिक ना हो	कुल भूखण्ड का 10 प्रतिशत यह आरक्षण क्षैतिज होगा और इसके तहत आवंटित भूखण्ड की गणना अन्य श्रेणी में आंवटित आरक्षित और अनारक्षित भूखण्डों के विरूद्व की जावेगी।
7.	ट्रांसजेण्डर व्यक्ति	आवंटन के समय जिनकी वार्षिक आय रूपये 20.00 लाख से अधिक ना हो	02 प्रतिशत
नोटः— यदि किसी आरक्षित श्रेणी में आवंटन योग्य भूखण्ड हेतु आवेदन प्राप्त नहीं होता है तो उक्त भूखण्ड का आवंटन/बेचान अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर द्वारा निर्णित कर किसी भी व्यक्ति को किया जा सकेगा।			

1. राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण श्रेणी के आरक्षण का निर्धारण प्रतिशत के आधार पर पूर्ण भूखण्ड को ध्यान में रखते हुए किया गया है। किसी भी आरक्षित वर्ग में पर्याप्त संख्या में आवेदन प्राप्त नहीं होने पर, उस वर्ग के शेष भूखण्डों का आवंटन अनारक्षित श्रेणी के उसी आय वर्ग के आवेदकों को किया जायेगा।
2. राजस्थान सरकार/राज्य के स्थानीय निकायों एवं राजस्थान सरकार के उपक्रमों में कार्यरत व्यक्तियों को अपने नियोजक/विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा।
3. राजस्थान की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को राजस्थान सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा।
4. दिव्यांग व्यक्तियों को राज्य सरकार के प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
5. अधिस्वीकृत पत्रकारों को राजस्थान सरकार/भारत सरकार की प्राधिकृत संस्था द्वारा जारी अधिस्वीकृत पत्रकार का प्रमाण पत्र मान्य होगा।
6. सैनिक वर्ग में भारत की थल, जल, वायुसेना, बी.एस.एफ., सी.आई.एस.एफ. एवं सी.आर.पी.एफ., अर्द्वसैनिक बलों में कार्यरत अथवा इन सेवाओं से सेवानिवृत्त कर्मचारी/अधिकारी एवं उनके परिवार में

पति, पत्नी/पुत्र एवं उस पर आश्रित सम्मिलित हैं।

7. आवेदक जिस सैनिक के परिवार के सदस्य होने का कथन करता है, उस परिवार से मात्र एक आवेदक ही आवेदन कर सकता है।
8. सैनिक वर्ग में आरक्षित भूखण्डों हेतु सैनिक स्वयं आवेदक होने की स्थिति में उसके परिवार का कोई सदस्य उक्त आरक्षित कोटे हेतु आवेदन का पात्र नहीं होगा।
9. अन्य सैनिक (कार्यरत/सेवानिवृत्त) के परिवार से परिवार का केवल एक ही सदस्य आरक्षित कोटे हेतु आवेदन कर सकता है। एक से अधिक सदस्यों द्वारा आवेदन करने की स्थिति में सभी आवेदन निरस्त कर दिये जावेंगे।
10. सैनिक कोटे में आरक्षित भूखण्ड हेतु आवेदक का परिशिष्ट (VI) प्रारूप अनुसार 50/– रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर प्रमाणित अतिरिक्त घोषणा पत्र संलग्न करना आवश्यक है।
11. सैनिक श्रेणी (जिसमें भूतपूर्व सैनिक एवं उनके परिवार भी शामिल हैं) के लिये आरक्षित भूखण्डों का आवंटन निम्न प्राथमिकता के आधार पर किया जावेगाः–

    क. उन सैनिकों की विधवायें एवं आश्रित जिनकी मृत्यु देश की सीमा की रक्षा करते हुए हो। (बी.एस.एफ, सी.आई.एस.एफ. एवं सी.आर.पी.एफ.) (उन कार्मिकों की विधवाएं एवं आश्रित जिनकी मृत्यु ड्यूटी निष्पादन के दौरान हुई हो।)

    ख. दिव्यांग सैनिक (बी.एस.एफ., सी.आई.एस.एफ. एवं सी.आर.पी.एफ.)

    ग. अन्य सैनिक (बी.एस.एफ., सी.आई.एस.एफ. एवं सी.आर.पी.एफ.)

    इसके लिये सम्बन्धित श्रेणी का प्रमाण पत्र लगाया जाना आवश्यक है।

11. आवेदन के साथ देय पंजीकरण राशि

भूखण्ड का आकार विवरण पुस्तिका के पृष्ठ संख्या 3 पर देखें।

1. देय राशि का भुगतान ऑनलाईन (Netbanking/ UPI/ Credit Card/ Debit Card and etc.) ही किया जावेगा। **नकद/चैक/ बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/पे–ऑर्डर स्वीकार नहीं होगें।**

1. राजस्थान सुधार न्यास (भूमि निस्तारण नियम) 1974 के नियम 17 (4) के आधार पर विभिन्न श्रेणियों के व्यक्तियों को आवंटन योग्य भूखण्ड का आकार एवं दर निम्न प्रकार से रहेगीं –

क्र.स.	आवेदक का वर्ग	प्लाट की साईज व.मी. से अधिक ना हो	भूखण्ड टाईप	वसूली योग्य दर	प्रस्तावित देय पंजीकरण राशि (रूपये)
1.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) जिनकी आय 3,00,000/– रू प्रतिवर्ष से अधिक न हो	45 व.मी. तक	E	आरक्षित मूल्य का 50 प्रतिशत (8114/– रू प्र.व.मी.)	10,000
2.	अल्प आय वर्ग 'ब' जिनकी आय 3,00,001/– रू से 6,00,000/– रू प्रतिवर्ष तक हो (LIG)	45 से अधिक 75 व.मी. तक	D	आरक्षित मूल्य का 80 प्रतिशत (12982/– रू प्र.व.मी.)	20,000
3.	मध्यम आय वर्ग (MIG A) जिनकी आय 6,00,001/– रू से 12,00,000/– रू प्रतिवर्ष हो	75 से अधिक 120 व.मी. तक	C	आरक्षित मूल्य पर (16227/– रू प्र.व.मी)	30,000
4.	मध्यम आय वर्ग (MIG B) जिनकी आय 12,00,001/– रू से 18,00,000/– रू तक प्रतिवर्ष हो	120 से अधिक 220 व.मी. तक	B	आरक्षित मूल्य का 105 प्रतिशत (17038/– रू प्र.व.मी.)	40,000
5.	उच्च आय वर्ग (HIG) जिनकी आय 18,00,000/– रू से प्रतिवर्ष अधिक हो	220 व.मी. से अधिक	A	आरक्षित मूल्य का 110 प्रतिशत (17850/– रू प्र.व.मी.)	50,000

असफल आवेदकों की पंजीयन राशि उनके द्वारा जमा कराये गये माध्यम से ही वापस लौटा दी जावेगी।

12. मांगी गई राशि के भुगतान की प्रक्रिया

आवंटन पश्चात जमा पंजीयन राशि को समायोजित करने के पश्चात सम्बन्धित बैंक में शेष बकाया राशि आवंटन पत्र प्राप्त होने की सूचना तिथि से 30 दिवस की अवधि में ऑनलाईन ही एकमुश्त जमा करानी होगी।

नोटः–

1. सफल आवेदकों की मांग राशि निर्धारित अवधि 30 दिवस में जमा नहीं होने की स्थिति में आवंटन पत्र प्राप्त होने की तिथि से 30 दिवस गुजरने के बाद आगामी 90 दिवस तक 9% प्रति वर्ष की दर पर ब्याज सहित राशि जमा करवाई जा सकती है, किन्तु ब्याज आवंटन पत्र प्राप्त होने की सूचना की 31वीं तिथि से देय होगा।
2. आवंटन पत्र प्राप्त होने की तिथि से 120 दिवस में उक्त राशि जमा न होने की स्थिति में भूखण्ड का आवंटन स्वतः निरस्त माना जायेगा। भूखण्ड आवंटन निरस्त करने की कोई सूचना जारी नहीं की जायेगी। नियमानुसार शास्ति एवं ब्याज जमा कराने की स्थित में स्वतः निरस्तीकरण प्रत्याहर्त कर नियमानुसार आवंटन किया जा सकेगा।
3. राशि जमा करवाने की अवधि आवंटन पत्र प्राप्ति के दिन से प्रारम्भ होगी। अतः आवंटन पत्र प्राप्ति के हस्ताक्षर तिथि अंकित करें व डाक का लिफाफा भी साक्ष्य हेतु संभाल कर रखें।
4. भूखण्ड आवंटित होने के पश्चात, आवंटन पत्र जारी होने के पश्चात यदि आवंटी भूखण्ड लेने का इच्छुक नहीं है तो उसकी पंजीकरण राशि जब्त कर ली जावेगी।

13. भूखण्ड की कीमत के अलावा अन्य जमा योग्य राशि

1. राजस्थान शहरी भूमि निष्पादन नियम 1974 के बिन्दु सं. 7 के अनुसार आपको निर्धारित दर से वार्षिक शहरी जमाबंदी (अरबन असेसमेन्ट) अगले वित्तीय वर्ष के लिये अग्रिम रूप से प्रति वर्ष 31 मार्च तक जमा करवानी होगी। प्रथम 5 वर्ष के लिए शहरी जमाबंदी वर्तमान आरक्षित दर की 1.25% एवं 5 वर्ष के पश्चात 2.50% प्रतिवर्ष देय होगी। प्रथम वर्ष की जमाबंदी की राशि अग्रिम जमा करवानी होगी इस राशि के प्रतिवर्ष के भुगतान से मुक्त होने के लिए 2.50% की दर से 8 वर्ष की एकमुश्त राशि जमा करवानी होगी। आवंटी शहरी जमाबंदी(अरबन असेसमेन्ट) या ग्राउण्ड रेन्ट की 10 वर्ष तक की राशि एक मुश्त जमा करवाने पर आवंटी लीजडीड बेसिस से अपनी संपत्ति/भूखण्ड को फ्री होल्ड बेसिस पर परिवर्तित करा सकेगा।
2. राज्य सरकार या स्थानीय निकाय समय समय पर जो भी कर, किराया तय करती है वह आवेदक पर भी लागू होगा। आवेदक पर राज्य सरकार एवं अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर प्रसारित नियम आदेश भी लागू होंगे।
3. स्थल मानचित्र के 100 /– रू. भूखण्ड की कीमत के अलावा जमा करवाने होंगे।

14. जमा पंजीकरण राशि पर देय ब्याज

1. सफल आवेदको की जमा राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। प्राधिकरण आंवटित भूखण्ड के बदले अन्य भूखण्ड देने के लिए उत्तरदायी नहीं रहेगा।
2. असफल आवेदक द्वारा अपनी जमा राशि 90 दिवसों की समयावधि में प्राप्त कर लेना आवश्यक है, प्राधिकरण के आवेदन जमा करने एवं असफल आवेदनकर्ता को राशि लौटाने हेतु MOU अनुसार Bank को अधिकृत किया गया है। निर्धारित अवधि में आवेदन राशि वापस प्राप्त नहीं होती है तो पत्राचार कर प्राधिकरण को अवगत करवाना होगा। विलम्ब के लिए स्वयं आवेदक जिम्मेदार रहेगा।
3. असफल आवेदकों को लॉटरी की तिथि से छः माह तक अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा। आवेदक द्वारा गलत आई.एफ.एस.सी. कोड़, बैंक खाता संख्या एवं खाते के नाम के कारण पंजीयन राशि लौटाये जाने में विलम्ब होने पर अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा।

15. अन्य महत्वपूर्ण शर्तें

1. एक व्यक्ति द्वारा एक से अधिक भूखण्ड के लिये या एक से अधिक श्रेणी में आवेदन करना वर्जित है। ऐसा करने पर मिथ्या घोषणा व कपट मानते हुए सभी आवेदन पत्र निरस्त कर सम्पूर्ण पंजीयन राशि जब्त कर ली जायेगी।
2. यदि आवेदक स्वयं, पत्नि पति व आश्रित सदस्य द्वारा योजना में भूखण्ड आवंटन हेतु एक से अधिक आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाते है एवं एक से अधिक सदस्य सफल होते है तो उस स्थिति में भूखण्ड परिवार के एक ही व्यक्ति का मिलेगा। शेष परिवार/ आश्रित सफल आवेदकों के भूखण्ड आवंटन नहीं किये जायेंगे व जमा राशि में से 05 प्रतिशत राशि काट कर शेष राशि लौटा दी जायेगी। आवंटित जिस सदस्य का भूखण्ड आप रखना चाहते है उसकी राशि आवंटन पत्र प्राप्ति से 30 दिवस में जमा करवानी होगी एवं एक की भूखण्ड प्राप्त किये जाने का शपथ पत्र देना होगा।
3. भूखण्ड 99 वर्ष की लीज पर आवंटित किये जायेगें।

4. सामान्यतया आवंटी आवंटित भूखण्ड का 10 वर्ष की अवधि तक विक्रय अथवा हस्तातंरण नहीं कर सकता किन्तु यदि कोई व्यक्ति भूखण्ड को 10 वर्ष पूर्व विक्रय करना चाहता है तो प्रथम 5 वर्ष तक विक्रय करने पर उससे योजना की प्रचलित आरक्षित दर की 10 प्रतिशत की दर तथा 5 वर्ष से अधिक 10 वर्ष तक प्रचलित आरक्षित दर का 5 प्रतिशत की दर से शुल्क वसूल कर नियमानुसार किये गये विक्रय पत्र अथवा दस्तावेजों के आधार पर हस्तांतरण की अनुमति दे दी जायेगी।

5. आवंटी को लीज–डीड पंजीयन का खर्च स्वयं वहन करना होगा एवं पंजीयन विभाग के परिपत्र के अनुसार पट्टा जारी होने की दिनांक से 02 माह के अंदर पंजीयन करवाना होगा।

6. भूखण्ड आवंटी को कब्जे की तिथि से 7 साल की अवधि में एक आवासीय इकाई का निर्माण कराना अनिवार्य होगा। अगर नियत समयावधि में एक आवासीय इकाई का निर्माण नहीं करवाया गया तो भूखण्ड का आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा तथा आवंटी भविष्य में भूखण्ड आवंटन का पात्र नहीं होगा साथ ही उसके द्वारा जमा करवाई गई पंजीयन राशि जब्त कर ली जायेगी। राजस्थान सुधार न्यास (भूमि निस्तारण नियम) 1974 के नियम 17(6ए) के अनुसार आवंटी नियमानुसार आरोपित राशि के जमा कराने पर 7 वर्ष तक की अवधि तक नियमानुसार अवधि विस्तार करा सकेगा।

7. आवंटन में प्राप्त भूखण्ड केवल आवासीय उपयोग में लिया जा सकेगा एवं अन्य किसी प्रयोजन में नहीं लिया जा सकेगा। भूखण्ड का उपविभाजन/पुर्नगठन प्रचलित भवन विनियम के प्रावधानों के अनुसार मान्य होगा।

8. नियम विरूद्व एवं गलत सूचना देने पर आवेदन पत्र व आवंटन निरस्त किय जा कर भूखण्ड के पेटे जमा पंजीयन राशि जब्त कर ली जावेगी तथा उन्हे भविष्य में आवासीय भूखण्ड के लिये आवेदन करने हेतु अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा। साथ ही ऐसे आवेदनकर्ता के विरूद्व कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

9. आवंटन पत्र के साथ अग्रिम राशि मात्र प्राप्त होने से प्राधिकरण इस योजना में भूखण्ड आवंटन करने के संबंध में किसी से कानूनी तौर पर बाध्य नहीं होगा।

10. योजनान्तर्गत आवंटित भूखण्ड के आंतरिक विकास समतलीकरण सफाई आदि के लिये प्राधिकरण उत्तरदायी नहीं होगा।

11. किसी भी प्रकार के कानूनी विवाद के संबंध में न्यायिक क्षेत्राधिकार अजमेर ही रहेगा।

12. इस योजना में भूखण्डों की खरीद हेतु बैंको/वित्तीय संस्थाओं से ऋण सुविधा उपलब्ध हो सकेगा, इस हेतु सफल आवंटी ऋण उपलब्ध करवाने वाले बैंको/वित्तीय संस्थानों से द्विपक्षीय अनुबंध किया जा सकेगी।

13. आवंटित भूखण्ड पर निर्माण व विकास के लिये अजमेर विकास प्राधिकरण (अजमेर रीजन भवन) विनियम–2020 पर्यावरण स्वीकृति में लगायी गई शर्तों एवं समय–समय पर राज्य सरकार/प्राधिकरण के निर्देशों की पालना बाध्यकारी होगी।

14. किसी भी प्रकार के वाद विवाद की स्थिति में आयुक्त अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर का निर्णय अंतिम होगा।

15. आवेदन पत्र में आवेदक का नवीनतम रंगीन फोटो अपलोड करना आवश्यक हैं।

16. इन सभी प्रमाण पत्रों के प्रारूप इस पुस्तिका में पीछे दिये गये है। अधिकारी श्रेणी व पद भी प्रारूप दर्शाये गये है। इन प्रमाण पत्रों को अपलोड करने में कोई त्रुटि नहीं करे अन्यथा आपका आवेदन निरस्त किया जा सकता है। कृपया याद रखिये आप न तो भूखण्ड की वर्ग/माप के चयन को बदल सकते है, और न ही अपूर्ण या बिना वांछित प्रमाण पत्रों के आवेदन कर सकते है।

17. भविष्य में किये जाने वाले किसी भी पत्र व्यवहार में आवेदन पत्र का क्रमांक अवश्य अंकित करें आपके पते में हुए परिवर्तन की सूचना सचिव अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर को आवश्यक रूप से भिजवायें।

18. वेबसाइट पर सूचनाओं का प्रकाशन

अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर द्वारा योजना के आवेदन पत्रो की प्रारम्भिक जांच में निरस्त आवेदन पत्रों के आवेदको की सूची अजमेर विकास प्राधिकरण की वेबसाईट पर अवलोकनार्थ जारी की जावेगी। प्राप्त आवेदन पत्रो की आवंटन से पूर्व मात्र प्रारम्भिक जांच ही की जावेगी। लॉटरी के बाद मात्र सफल आवेदको के आवेदन पत्रों की पूर्ण जांच की जावेगी। जांच आवेदन पत्र अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण अथवा निरस्त योग्य पाये जाने पर आवेदन पत्र व आवंटन पत्र निरस्त कर दिया जावेगा तथा पंजीयन राशि जब्त कर ली जावेगी। योजना से संबंधित जानकारी समय–समय पर प्राधिकरण की वेबसाईट https://ada.rajasthan.gov.in पर प्राधिकरण द्वारा लिये जाने वाले निर्णय /निर्देश और सूचनाओं को उपरोक्त वेबसाईट पर प्रकाशित किया जायेगा। कृपया आवश्यक सूचनाओं हेतु उक्त वेबसाईट का अवलोकन समय–समय पर करते रहें।

18. कन्ट्रोल रूम

योजना के संबंध में पूछताछ हेतु दूरभाष नम्बर 0145–2627748, 2627749 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

19. आवेदन वापस लेने की प्रक्रिया

यदि कोई आवेदक लॉटरी से पूर्व पंजीकरण निरस्त करवाना चाहता है तो पंजीकरण राशि में से 20 प्रतिशत राशि काट कर शेष राशि लौटा दी जायेगी इस हेतु आवेदक को लॉटरी की नियत दिवस से सात दिवस पूर्व आवेदन करना अनिवार्य होगा अन्यथा उसके नाम का पंजीकरण निरस्त नहीं किया जायेगा।

20. आवेदको को उनसे प्राप्त आवेदन के वर्ग के अनुसार ऑनलाईन लॉटरी निकाली जाकर अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर द्वारा भूखण्ड का आवंटन किया जायेगा, जो अंतिम एवं मान्य होगा। लॉटरी निकालने की प्रस्तावित दिनांक का समाचार पत्रों के माध्यम से सूचित करने की व्यवस्था की जायेगी। आवेदन के साथ अग्रिम राशि प्राप्त होने मात्र से प्राधिकरण इन योजनाओं में भूखण्ड आवंटन करने की संबंध में किसी प्रकार से कानूनी रूप से बाध्य नहीं होगा।

कृपया आवेदन में आपका एवं आपके पिता/पति का नाम और पता सही भरें। संयुक्त नाम से आवेदन स्वीकार नहीं किये जावेंगे।

21. आवेदन करने के लिये विशेष निर्देश

1. आवेदक अपना नाम सही अंकित करें।

2. आवेदक अपने पिता अथवा पति का नाम सही अंकित करें।

3. आवेदक अपने मनोनीत व्यक्ति का नाम एवं विवरण सही अंकित करें।

4. आवेदक अपने परिवार की सकल वार्षिक आय का सही अंकित करें एवं प्रस्तुत प्रमाण पत्र का उनसे मिलान करें। परिवार की कुल सकल आय के अनुरूप आयवर्ग/भूखण्ड के आधार के समक्ष सही कॉलम में टिक करें। इस संबंध में यदि परिवार में पति पत्नि एवं आश्रितों में एक से अधिक कमाऊ सदस्य है तो आवेदक पुस्तिका के विवरण अनुसार प्रत्येक सदस्य की सकल आय की पृथक–पृथक गणना करते हुए (राज्य कर्मचारी के मामले में कार्यालयाध्यक्ष द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र संलग्न करते हुए) निर्धारित प्रपत्र में प्रत्येक सदस्य के नाम सकल आय(राज्य कर्मचारी सहित) अंकित करते हुए पूरे परिवार की सकल आय का प्रमाण पत्र बनाये जावें एवं उसके अनुरूप वर्ग के भूखण्ड साईज के लिये आवेदन किया जावे। सकल आय की गणना अत्यंत महत्वपूर्ण है, अतः उसकी गणना सावधानी पूर्वक की जावे एवं उसके अनुरूप आय प्रमाण पत्र अपलोड किया जावें। सकल आय के अनुरूप भूखण्ड के आकार का चयन करें। इस संबंध में सकल आय की गलत गणना अपर्याप्त एवं गलत आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने एवं गलत वर्ग में टिक करने अथवा आवेदन करने आदि स्थिति में जमा पंजीकरण राशि जब्त की जाकर किसी भी स्टेज पर (आवंटन के पश्चात भी) आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।

5. आवेदक के पास अपना पैन नम्बर आवेदन पत्र में सही अंकित करें।

6. आवेदक आवेदन पुस्तिका में उल्लेखित आवेदन हेतु उपलब्ध विभिन्न आकार के भूखण्ड (वर्गमीटर अनुसार) के लिए निर्धारित सकल आय की सीमा को ध्यान में रखते हुए भूखण्ड का चयन करें। सकल आय वर्ग अनुसार चयनित भूखण्ड आकार (वर्गमीटर) के अनुसार तालिका में सही वर्ग पर टिक करें।

7. आवेदक को आवेदन पुस्तिका में उल्लेखित भूखण्ड के आरक्षण में विभिन्न वर्ग के तहत आरक्षण के प्रस्ताव की तालिका के अनुसार आवेदक जिस आरक्षित वर्ग के लिये पात्र है एवं जिस आरक्षित वर्ग के लिये आवेदन करना चाहता है उसी वर्ग का प्रमाण पत्र संलग्न करते हुए आवेदन में संबंधित वर्ग पर टिक करें साथ ही जिस वर्ग में आरक्षण चाहा गया है उसका प्रमाण पत्र संलग्न नहीं करने पर अथवा गलत वर्ग में टिक करने पर आवेदक का आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा एवं पंजीकरण राशि जब्त कर ली जावेगी। आवेदन का निरस्तीकरण किसी भी स्टेज पर अथवा आवंटन के पश्चात भी किया जा सकता है।

8. आवेदक यदि जल, थल, वायुसेना, बी.एस.एफ./सी.आई.एस.एफ./सी.आर.पी.एफ. में कार्यरत है अथवा पूर्व सैनिक एवं उसके परिवार से संबंधित है तो संबंधित वर्ग में टिक करें इस संबंध में प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रपत्र अपलोड करें सैनिक के अलावा मात्र बी.एस.एफ./सी.आई.एस.एफ/सी.आर.पी.एफ. का कार्मिक की पात्र है इसके अलावा अन्य संगठनों के कर्मचारी उक्त आरक्षण के पात्र नहीं है अतः बिना पात्रता आवेदन निरस्त किया जायेगा उक्त सभी को राजस्थान के मूल निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा।

9. आवेदक अपना पूर्ण पता सही अंकित करें। इस संबंध में आवेदक अपना मोबाईल नम्बर, स्थाई पता एवं ई–मेल का पता भी अवश्य अंकित करें।

10. प्रार्थी रिफण्ड हेतु आवेदक का नाम, बैंक खाता संख्या, बैंक शाखा का IFSC कोड भी आवश्यक रूप से अंकित करें।

11. सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षरित श्रेणीवार आवंटन हेतु वांछित निम्नांकित प्रमाण पत्र आवेदन के साथ अपलोड करना आवश्यक है :–

1. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी राजस्थान के मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र।
2. निर्धारित प्रपत्र में सक्षम अधिकारी से प्रमाणित आय प्रमाण पत्र।
3. राज्य सरकार के विभागों एवं राजकीय उपक्रम के कर्मचारी होने का कार्यालयाध्यक्ष का प्रमाण पत्र।
4. सैनिक/सेवानिवृत्त सैनिक एवं सैनिकों की विधवा एवं सैनिक कल्याण बोर्ड से जारी आश्रित होने का प्रमाण पत्र।
5. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र।
6. निःशक्तता प्रमाण पत्र जो सक्षम चिकित्सा अधिकारी या चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी हो।
7. जनसम्पर्क निदेशालय द्वारा जारी अधिस्वीकृत पत्रकार होने का प्रमाण पत्र।
8. निराश्रित एवं भूमिहीन एकल महिला का प्रमाण पत्र।

ऑनलाईन आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया

आवेदन करने से पूर्व कृपया योजना की निर्देशिका को भली–भांति पढ़ व समझ ले तत्पश्चात् आवेदन निम्नानुसार प्रारम्भ करे–

1. सर्वप्रथम विभाग की वेबसाईट https://ada.rajasthan.gov.in खोले तथा उसमें अटल आवासीय योजना चाचियावास पर क्लिक करें।
2. आवेदन भरने से पूर्व योजना से सम्बन्धित समस्त जानकारीयाँ ध्यानपूर्वक पढ़ लें तत्पश्चात फॉर्म को भरने (नया आवेदन या मोडिफाय) की प्रक्रिया प्रारम्भ करें।
3. आवेदक को योजना के विवरण का पीडीएफ डाउनलोड कर पूर्ण अध्ययन कर लेवें तत्पश्चात् आवेदक योजना पर क्लिक करे।
4. क्लिक करने पर ऑनलाईन फॉर्म प्रदर्शित होगा, जिसमें आवेदक अपना नाम, मो नम्बर डालकर सेण्ड ओटीपी पर क्लिक करें। आवेदक को मोबाईल पर ओटीपी प्राप्त होगा।
5. प्राप्त ओटीपी को इन्द्राज कर Submit & Next पर क्लिक करें। नाम व नम्बर में त्रुटि होने पर Reset बटन पर क्लिक करें। ओटीपी प्राप्त न होने पर Resend पर क्लिक करें।
6. Submit & Next पर क्लिक करने पर User Information का फॉर्म प्रदर्शित होगा जिसमें आवेदक अपनी फोटो (maximum 50 kb) अपलोड करें। आवेदक का नाम व नम्बर प्रदर्शित होगो जो कि संशोधन नहीं किया जा सकेगा।
7. आवेदक अपनी, उत्तराधिकारी तथा बैंक विवरण पूर्ण रूप से जाँच कर भर देवें तथा Submit & Next पर क्लिक करें।
8. तत्पश्चात आरक्षण वर्ग का फॉर्म खुलेगा जिसमें आवेदक अपनी आरक्षण वर्ग, उपवर्ग एवं वार्षिक सकल आय का विकल्प में से चयन करें। आवेदक जिस वर्ग/उप वर्ग के अन्तर्गत पात्रता चाही गई है उसी विकल्प का चयन करें तथा Submit & Next पर क्लिक करें।
9. इसके पश्चात् समस्त वांछित दस्तावेज (स्वयंप्रमाणित घोषणा– पत्र परिशिष्ट I, कैंसल चैक या पासबुक का प्रथम पठनीय पृष्ठ, मूल निवास परिशिष्ट II, आय प्रमाण पत्र परिशिष्ट III एवं आरक्षण वर्ग परिशिष्ट IV से XI तक जिसके लिए पात्रता रखता है– (maximum 100 kb) अपलोड करें तथा Submit & Next पर क्लिक करें।
10. तत्पश्चात आवेदक अपनी सकल आय के आधार पर आवेदन पुस्तिका के पेज 7 के बिन्दु संख्या 11 पर अंकित पंजीकरण राशि का भुगतान करें जिसके पश्चात आवेदक की आई.डी. जनरेट होगी। जो लॉटरी/आवंटन के लिए मान्य होगी इस हेतु आई.डी. को सुरक्षित रखें।
11. फॉर्म भरने या भुगतान में किसी प्रकार की समस्या आने पर ई–मेल ajmerada@gmail.com पर संपर्क कर सकते है।
12. योजना संबंधित नवीनतम जानकारी के लिए विभाग की वेबसाईट https://ada.rajasthan.gov.in देखें।

सचिव
अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर
फोन नं. 0145–2627748, 2627749
वेबसाईटः https://ada.rajasthan.gov.in

शपथ – पत्र (समस्त आवेदको के लिए)

मैं .... पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री .... आयु ....
निवासी ग्राम/नगर .... तहसील .... जिला ....
शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि –

1. यह कि आवेदन पुस्तिका को मैंने ध्यान, पूर्वक पढ़ लिया है तथा मैं अपने आप वर्ग अनुसार निर्धारित श्रेणी में ही आवेदन कर रहा/रही हूँ, जिस हेतु आवेदन प्रमाण पत्र जब भी मुझमें मांगे जावेंगे मैं पेश कर दूंगा/कर दूंगी।

2. यह कि मैंने सामान्य/आरक्षित श्रेणी (सरकारी कर्मचारी/सैनिक/अनु.जाति/अनु.जनजाति/विशेष योग्यजन/अधिस्वीकृत पत्रकार/निराश्रित एवं भूमिहीन एकल महिला) में आवेदन किया है जिसकी मै पात्रता रखता/रखती हूं। इस सम्बन्ध में प्रमाण पत्र जब भी मुझसे मांगे जावेंगे, मैं प्रस्तुत कर दूंगा/कर दूंगी।

3. उक्त वाछित प्रमाण पत्र निर्धारित अवधि में प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में मुझे आवंटित भूखण्ड निरस्त किया जा सकेगा।

4. प्राधिकरण की किसी भी आवासीय योजना में विगत 10 वर्षों में कोई भूखण्ड/प्लॉट मेरे (स्वयं पति/पत्नि तथा किसी आश्रित के नाम भूखण्ड/मकान आवंटित नहीं हुआ है।)

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

घोषणा

मैं .... पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री .... शपथ पूर्वक सत्यापित करता/करती हॅ कि उपरोक्त सचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनसार सही है। गलत घोषणा पत्र प्रस्तत करने पर मेरे विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) अनुसार संबंधित प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जा सकेगी।

आवेदक के हस्ताक्षर

मूल निवास प्रमाण–पत्र

(सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निर्धारित प्रपत्र में)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री /श्रीमती/सुश्री ....

पुत्र / पत्नी / पुत्री श्री ....

निवासी ....

नगर/ग्राम .... जिला ....

राज्य .... का मूल निवासी है।

स्थान :
दिनांक :

उप जिला मजिस्ट्रेट/प्राधिकृत अधिकारी/
तहसीलदार के हस्ताक्षर मय मोहर

आय प्रमाण–पत्र
(गैर वेतन भोगी/निजी व्यवसाय/निजी वेतन भोगी आवेदकों के लिए)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी...पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री...जाति ....निवासी नगर/ग्राम ....तहसील.. जिला..............................राज्य .... की स्वयं एवं पत्नी /पति तथा आश्रितों की सकल वार्षिक आय रू.................................. प्रतिवर्ष है एवं मेरा पेन नम्बर ....है।

आवेदक के हस्ताक्षर

घोषणा

मैं ....पुत्र/पत्नि/पुत्री श्री... शपथ पूर्वक सत्यापित करता/करती हूॅं कि उपरोक्त सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है। गलत घोषणा पत्र प्रस्तुत करने पर मेरे विरूद्व भारतीय न्याय सहिंता (BNS) अनुसार संबंधित प्रावधानों के तहत कायवाही की जा सकेगी।

आवेदक के हस्ताक्षर

आय प्रमाण–पत्र (निजी वेतन भोगी आवेदकों के लिए)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी...पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री .... इस कम्पनी/फर्म में.......................................पद पर कार्यरत है। इनकी सकल वार्षिक आय रू.......................................प्रति वर्ष है।

दिनांकः
स्थानः

कम्पनी/फर्म प्रमाणितकर्ता
के हस्ताक्षर मय मोहर

आय प्रमाण–पत्र (वेतन भोगी के आवेदकों के लिए)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ....पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री... इस विभाग में ....पद पर कार्यरत है एवं ये केन्द्र/राजस्थान सरकार अथवा राजस्थान सरकार के उपक्रम की नियमित कर्मचारी है। इनकी सकल वार्षिक आय रू. ....प्रतिवर्ष है।

दिनांकः
स्थानः

विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष
के हस्ताक्षर मय मोहर
विभाग/उपक्रम का नाम

सैनिक, सैनिक पर आश्रित एवं सैनिक की विधवाओं के लिए
(आय प्रमाण पत्र के मान्य नहीं है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री..(रैंक) ....(नाम) ....(नम्बर).. पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री...(जाति).. ....निवासी नगर /ग्राम ....जिला...राज्य ....

अ– ये वर्तमान में भारतीय थल/जल/वायुसेना/सीमा सुरक्षा बल/ केन्द्रीय रिजर्व पुलिस/केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल/ सी.आई.एस.एफ. में कार्यरत है। इनकी मासिक आय रूपये.................................. ....प्रतिमाह है।

ब– ये सशक्त सेनाओं/सुरक्षा बलों से सेवानिवृत हुए है तथा सेवानिवृत के समय इनकी वार्षिक आय रूपये ....प्रतिवर्ष थी।

स– इनकी मृत्यु सेवा में रहते हो गयी थी। इनकी विधवा श्रीमती .... है। इनके पति की मृत्यु के समय मासिक आय रूपये ....प्रतिमाह थी। इन्होंने तक पुननिर्वाह नहीं किया है।

कमाण्डिग ऑफिसर/
सक्षम अधिकारी/सचिव
सैनिक बोर्ड के हस्ताक्षर मय

मोहर
स्थान :
दिनांक :

उक्त निर्धारित प्रमाण पत्र सम्बन्धित कार्यालय से जारी करने का संदर्भ एवं दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति

शपथ पत्र
सैनिक (जिसमें भूतपूर्व सैनिक एवं उनके परिवार भी शामिल है।) कोटे हेतु आरक्षित भूखण्डों हेतु परिवार के किसी सदस्य द्वारा आवेदन हेतु।

मैं ....पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री..आयु............. .... निवासी ग्राम/नगर...तहसील...जिला.......................... ....शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि –

1. यह कि उक्त आवासीय योजना में सैनिक कोटे से आरक्षित भूखण्ड हेतु एक मात्र मै ही आवेदन कर रहा हूँ। परिवार के किसी अन्य सदस्य ने उक्त आरक्षित कोटे से भूखण्ड आवंटन हेतु आवेदन नहीं किया हैं।

2. यह कि मेरे पिता/पति/पत्नि सैनिक थे, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। उनके आधार पर आरक्षित कोटे से मेरे अतिरिक्ट परिवार के किसी भी सदस्य ने आरक्षित कोटे में भूखण्ड आवंटन हेतु आवेदन नहीं किया है तथा न ही मेरे स्व. पित/पति/पत्नि श्री/श्रीमती... ने एवं हमारे परिवार के किसी सदस्य ने सैनिक कोटे में आज तक आरश्रित भूखण्डों में से कोई भूखण्ड आंवटित कराया है।

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

घोषणा

मैं ....पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री .... शपथ पूर्वक सत्यापित करता/करती हूँ कि उपरोक्त सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है। गलत घोषणा पत्र प्रस्तुत करने पर मेरे विरूद्व भारतीय न्याय सहिंता (BNS) अनुसार संबंधित प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जा सकेगी।

आवेदक के हस्ताक्षर

परिशिष्ट– VI

रू. 50/– के नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पर

शपथ पत्र

सैनिक (जिसमें भूतपूर्व सैनिक एवं उनके परिवार भी शामिल है।) कोटे हेतु आरक्षित भूखण्डों हेतु परिवार के किसी सदस्य द्वारा आवेदन करने पर सैनिक द्वारा प्रस्तु शपथ पत्र

मैं .... पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री .... आयु ....

निवासी ग्राम/नगर .... तहसील .... जिला ....

शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि –

1. यह कि मैं सैनिक कोटे से आरक्षित भूखण्डों के आवंटन की पात्रता रखता हूं।
2. यह कि उक्त आवासीय योजना में सैनिक कोटे से आरक्षित भूखण्ड आवंटन हेतु मेरे द्वारा कोई आवेदन/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।
3. यह कि उक्त श्रेणी में आरक्षित भूखण्डों हेतु उसके परिवार के सदस्यों के रूप में मेरी/मेरा पत्नी/पुत्र/पुत्री/पति श्री/श्रीमती/कुमारी .... द्वारा भूखण्ड आवंटन हेतु आवेदन पत्र/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। उसे ही मेरी ओर से प्रस्तुत/प्रार्थना पत्र के रूप में स्वीकार किया जावे।
4. यह कि मुझे व मेरे परिवार को सैनिक कोटे में आरक्षित श्रेणी में रियायती दर पर आज तक कोई भूखण्ड आवंटित नहीं किया गया है।

मैं .... पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री .... शपथ पूर्वक सत्यापित करता/करती हूँ कि उपरोक्त सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है। गलत घोषणा पत्र प्रस्तुत करने पर मेरे विरूद्ध भारतीय न्याय सहिंता (BNS) अनुसार संबंधित प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जा सकेगी।

मैं .... पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री .... शपथ पूर्वक सत्यापित करता/करती हूँ कि उपरोक्त सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है। गलत घोषणा पत्र प्रस्तुत करने पर मेरे विरूद्ध भारतीय दण्ड सहित (IPC) अनुसार संबंधित प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जा सकेगी।

आवेदक के हस्ताक्षर

परिशिष्ट–VII

दिव्यांगजन प्रमाण–पत्र

(सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निर्धारित प्रपत्र में)

क्रमांक / दिनांक :–

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी... पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री ....निवासी... ....ग्राम / नगर...जिला.............. ....की मेरे द्वारा चिकित्सकीय जांच की गयी है। ये शारीरिक रूप से दिव्यांग निःशक्त व्यक्ति है। इनकी निःशक्तता का प्रतिशत..है।

प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी / CMHO / BCMO
के हस्ताक्षर मय मोहर

नोटः पूर्व में जारी प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न की जा सकती है।

परिशिष्ट–VIII

अनुसूचित जाति / जनजाति के आवेदकों हेतु प्रमाण–पत्र

(सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निर्धारित प्रपत्र में)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी... पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री ....निवासी नगर / ग्राम...तहसील..............................जिला...................................राज्य..................... ....जाति...के सदस्य हैं जो अनुसूचित जाति / जनजाति (सूची) संशोधन अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत की अनुसूचित जाति / जनजाति में शुमार है।

हस्ताक्षर
उप खण्ड मजिस्ट्रेट
(कार्यालय की मोहर सहित)

उक्त निर्धारित प्रमाण पत्र संबंधित कार्यालय से जारी करने का संदर्भ एवं दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति

परिशिष्ट–IX

अधिस्वीकृत पत्रकारों के लिए प्रमाण–पत्र
(सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निर्धारित प्रपत्र में)

क्रमांक / दिनांक :–

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी.. पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री ....निवासी....... ....ग्राम / नगर........... ....जिला...अधिस्वीकृत पत्रकार है। इनका विवरण निम्न प्रकार है :–

प्रिण्ट अथवा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का नामः–

राज्य सरकार / जनसम्पर्क निदेशालय में पंजीकरण संख्या :–

अन्य विवरण :–

उक्त श्री ....की अधिस्वीकृत पत्रकार हेतु वैधता अवधि दिनांक ....तक है। इनकी वार्षिक सकल पारिवारिक आय ....रूपये है।

स्थान :

दिनांक :

निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क / प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर

परिशिष्ट–X

निराश्रित भूमिहीन एकल महिला आवेदकों हेतु प्रमाण–पत्र
(सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निर्धारित प्रपत्र में)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री.. पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ....निवासी...निराश्रित भूमिहीन एकल महिला है।

स्थान :
दिनांक :

हस्ताक्षर उप जिला मजिस्ट्रेट
(कार्यालय की मय मोहर)

उक्त निर्धारित प्रमाण पत्र संबंधित कार्यालय से जारी करने का संदर्भ एवं दिनांक सहित स्वप्रामणित प्रति

परिशिष्ट–XI

ट्रांसजेंडर आवेदकों हेतु प्रमाण–पत्र
(सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निर्धारित प्रपत्र में)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री..पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ....निवासी...ट्रांसजेंडर आवेदक है।

स्थान :
दिनांक :

हस्ताक्षर उप जिला मजिस्ट्रेट
(कार्यालय की मय मोहर)

उक्त निर्धारित प्रमाण पत्र संबंधित कार्यालय से जारी करने का संदर्भ एवं दिनांक सहित स्वप्रामणित प्रति

अजमेर महानगर बनने की ओर अग्रसर
अजमेर विकास प्राधिकरण का योगदान हर कदम पर

अटल आवासीय योजना

के मुख्य आकर्षण

- अजमेर – सीकर मुख्य सड़क से महज़ 1 किमी. की दूरी पर अवस्थित।
- दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल, भगवंत विश्वविद्यालय, आर्यभट्ट इंजीनियरिंग कॉलेज, एआईटी एवं नीरजा मोदी शैक्षणिक संस्थाओं के नज़दीक स्थित।
- प्रतिष्ठित जनाना अस्पताल एवं नवीन मेडिकल कॉलेज तथा बीआर शास्त्री अस्पताल के नजदीक स्थित।
- पुष्कर– जयपुर मुख्य सड़क मार्ग से मात्र 5 किमी दूरी पर तथा महर्षि दयानन्द सरस्वती विवि एवं प्रस्तावित आयुर्वेद व योग विवि से मात्र 10 मिनट की दूरी पर स्थित।
- अजमेर मुख्य रेलवे स्टेशन एवं केन्द्रीय बस अड्डे से 14 किमी दूरी पर स्थित।
- प्राधिकरण की अन्य योजनाओं पंचशील नगर एवं पृथ्वीराज नगर से 9 किमी दूरी पर अवस्थित।
- हवाई अड्डा, किशनगढ़ से मात्र 22 किमी की दूरी पर अवस्थित।

राष्ट्रीय/ राज्य स्तरीय संस्थाओं की स्थापना

- मेयो कॉलेज
- राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल
- महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय
- राजस्व मण्डल
- राजस्थान लोक सेवा आयोग
- राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद
- केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय
- राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
- राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केन्द्र
- जेएलएन मेडिकल कॉलेज
- रेलवे भर्ती बोर्ड, अजमेर

प्राधिकरण की परियोजनाएँ

- पंचशील नगर योजना
- पृथ्वीराज नगर योजना
- विजयाराजे सिंधिया नगर योजना
- वैशाली नगर योजना
- हरिभाऊ उपाध्याय योजना
- कोटड़ा आवासीय योजना
- महाराणा प्रताप आवासीय योजना
- चन्द्रवरदाई नगर योजना
- डी डी पुरम आवासीय योजना
- ई–ऑक्शन प्रणाली
- ऑनलाईन सेवा प्रदायगी व्यवस्था